



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092021-229912
CG-DL-E-24092021-229912

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3610]
No. 3610]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 23, 2021/आश्विन 1, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 23, 2021/ASVINA 1, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2021

का.आ. 3944(अ).—राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति प्रथम (कठिनाईयों का निराकरण) आदेश के उपबन्धों के साथ पठित राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति अधिनियम, 2021 की धारा 20 के उप-खंड (1) से (4) तक के उपबन्धों के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार एतद्वारा अंतरिम सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग का तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा धारा 3 के तहत नियमित आयोग गठित किए जाने तक, जो भी पहले हो, गठन करती है जिसमें नीचे दी गई तालिका में यथा-उल्लिखित सदस्य होंगे, नामतः:-

तालिका

अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) का खंड	सदस्य	सदस्यता की स्थिति
(1)	(2)	(3)
(क)	अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	अध्यक्ष
(ख)	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
(ग)	संयुक्त सचिव, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय	सदस्य

(घ)	संयुक्त सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य
(ङ)	संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य
(च)	संयुक्त सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	सदस्य
(छ)	उप-महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	सदस्य
(ज)	सदस्य, नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग	सदस्य
(झ)	सदस्य सचिव, भारतीय पुनर्वास परिषद	सदस्य
(ञ)	प्रमुख, नियामक कार्य और संचार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड	सदस्य
(ट)	रिक्त	सदस्य

3. धारा-20 की उप-धारा(4) के अनुसरण में, उप सचिव अथवा निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अंतरिम सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग का सचिव होगा।
4. अंतरिम सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सचिव का कार्यकाल अंतरिम आयोग के कार्यकाल की समाप्ति तक अथवा संबंधित मंत्रालय या संगठन में इन अधिकारियों के कार्यकाल की अवधि, जो भी पहले हो, तक होगा।

[फा. सं. जेड-28016/01/2021-एएचएस]

डॉ. मनदीप के. भण्डारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2021

S.O. 3944(E).—In pursuance of the provisions of sub-sections (1) to (4) of section 20 of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (14 of 2021), read with the provisions of the National Commission for Allied and Healthcare Professions 1st (Removal of Difficulties) Order, 2021, the Central Government, hereby constitutes the Interim Commission for Allied and Healthcare Professions for a period of three years or until a regular Commission is constituted under section 3, whichever is earlier, consisting of the following members as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Clause of sub-section (2) of section 20 of the Act	Member	Status of Membership
(1)	(2)	(3)
(a)	Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare	Chairperson
(b)	Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare	Member
(c)	Joint Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice	Member
(d)	Joint Secretary, Department of Higher Education	Member
(e)	Joint Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment	Member

(f)	Joint Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	Member
(g)	Deputy Director General, Directorate General of Health Services	Member
(h)	Member, Ethics and Medical Registration Board, National Medical Commission	Member
(i)	Member Secretary, Rehabilitation Council of India	Member
(j)	Head, Directorate of Regulatory Affairs and Communication, Atomic Energy Regulatory Board	Member
(k)	Vacant	Member(s)

3. In accordance with sub-section (4) of section 20, Deputy Secretary or Director, Ministry of Health and Family Welfare shall be the Secretary of the Interim Commission for Allied and Healthcare Professions from date of publication of this notification.

4. The tenure of the Chairperson, Members and Secretary of the Interim Commission for Allied and Healthcare Professions shall be co-terminus with the tenure of the Interim Commission or till their tenure in their respective Ministry or organisation, whichever is earlier.

[F. No. Z-28016/01/2021-AHS]

DR. MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secy.